उनवान– कंपन बेन बनाम जमकु देवी
मुकदमा नंबर– 16/2023

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.10.2023	विप्रार्थीगण वकील के प्रार्थनापत्र पर पत्रावली आज पेशी पर ली गई। वकील विप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी का प्रस्तुत किया। विप्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गई। वकील विप्रार्थीगण की बहस है कि प्रार्थीगण द्वारा अधिकारो की घोषणा का वाद पत्र के संलग्न अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र में ग्राम भाखरपुरा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 383 व 387 रकबा क्रमशः 05.3176 व 05.4470 हैक्टेयर में रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आशय का एकतरफा अंतरिम आदेश जारी करवाया हुआ है जबकि प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है लेकिन फिर भी उन्होनें उक्त प्रकरण बिना कोई हक अधिकार के एवं भू–माफियाओं व भूमि दलालों के बहकावे में आकर विप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए प्रस्तुत किया है। विप्रार्थीगण वकील ने प्रस्तुत दस्तावेजात में हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 नियम 11 व 19 के तहत प्रथम पत्नी के जीवित होने पर बिना विवाह विच्छेद के द्वितीय विवाह प्रथमदृष्टया शून्य है। विवादित भूमि के वाद पत्र में वाद मित्र द्वारा उक्त भूमि के हकतर्कनामा पर साख/गवाही दी हुई है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वाद के विचारण में समय लगना संभव है। इस दरम्यान विप्रार्थीगण जो कि रेकर्डेड खातेदार है लेकिन उक्त भूमि पर रेकर्ड की यथास्थिति का स्थगन होने से उन्हें भूमि के विकास हेतु ऋण एवं सरकारी सुविधाएँ आदि से वंचित हो रहे है। अतः इन परिस्थियों के मध्यनजर पूर्व में पारित रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश हटाने बाबत् निवेदन किया हमने विप्रार्थीगण वकील की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विप्रार्थीगण वकील द्वारा प्रस्तुत हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5 के नियम 11 व 19 का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विप्रार्थीगण वकील द्वारा प्रस्तुत हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5 के नियम 11 व 19 पूर्णतः इस प्रकरण पर लागू होती है एवं प्रार्थीगण द्वारा ऐसे कोई साक्ष्य या सबूत पेश नहीं किये है कि विवादित भूमि को लेकर उभय पक्षकार के मध्य किसी प्रकार के विवाद की स्थिति हो। लिहाजा विप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर ग्राम भाखरपुरा तहसील सिवाना की खसरा संख्या 383 व 387 रकबा [illegible] 3176 व 05.4470 हैक्टेयर में जारी अंत[illegible] है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के [illegible] हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dinesh Bishnoi Date: 2023.10.31 10:07:19 IST Reason: SelfAttested सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना	